U;k;ky;

lgk;d dyDVj@mi[k.M vf/kdkjh

x<kekykuh&ckMesj

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/394 दर्ज तिथिः–23.08.2024

1. दुर्गाराम गोदपुत्र नानगाराम
   जाति जाट निवासी डूंगराणी सियागों की ढाणी, पटवार मण्डल बांटा, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

............................प्रार्थी

बनाम

1. नानगा पुत्र गंगा
2. तेजा पुत्र गंगा
   जाति जाट निवासी डूंगराणी सियागों की ढाणी, पटवार मण्डल बांटा, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुडामालानी

..........................अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीः– श्री रामजीवन विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–03.07.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी हिन्दू परिवार से संबंधित हैं। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते हैं। प्रकरण में वादी प्रतिवादी संख्या 01 का गोदपुत्र है। साथ ही प्रकरण में वर्णित आराजी पैतृक एवं सहदायिकी आराजी है। उक्त सहदायिकी आराजी में वादीगण के सहदायक होने के कारण कानूनी हक निहित हैं। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है। इस दौरान अप्रार्थी प्रार्थी/वादी के उक्त कानूनी हकों के विपरीत जाकर उक्त सहदायिकी सम्पति को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है। इससे प्रार्थीगण के हकों पर नकारात्मक असर होगा। इस प्रकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:39 IST
Reason: SelfAttested

दौरान–ए–वाद उक्त आराजी पर रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 असालतन वकालतन हाजिर न्यायालय हुए तथा प्रार्थना पत्र पर सीधे बहस करते हुए निवेदन किया कि उक्त आराजी पैतृक आराजी नहीं है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सहदायक नहीं है। असल में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा खसरा संख्या 269/262 रकबा 0.2023 है0 भूमि राज्य सरकार के पक्ष में रास्ते हेतु समर्पित की थी। उक्त समर्पित रास्ते पर वर्तमान में गै0मु0 रास्ता चलायमान है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा एक समर्पण पत्र दिनांक 21.02.2022 को तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त समर्पण पत्र तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 269/262 रकबा 0.2023 है0 को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित किये जाने से हस्तगत प्रकरण में आराजी खसरा संख्या 269/262 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी आराजी नहीं होकर राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित गै0मु0 रास्ता की आराजी है। अप्रार्थी संख्या 01 एवं अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा सहमति से विभाजन प्रस्तुत करते हुए आवेदन वर्णित आराजी पक्षकारान के रास्ते हेतु सामलाती रखी थी। तत्पश्चात् उक्त रास्ते की सामलाती भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित किया गया था। उक्त समर्पितशुदा आराजी का नामांतकरण संख्या 02 दिनांक 03.04.2024 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया था। तत्पश्चात् उक्त आराजी पर हाजा न्यायालय के स्थगन आदेश का जिक्र करते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा उक्त नामांतकरण का पुनर्वालोकन करते हुए नामांतकरण संख्या 02 खारिज किया गया। जबकि हाजा न्यायालय द्वारा केवल मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये थे। जो अप्रार्थी संख्या 02 के वादपत्र में किये गये अभिवचन कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर निर्माण कार्य किया जाकर मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है, पर केवल मौके का स्थगन पारित किया गया था। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा उक्त नामांतकरण संख्या 02 को खारिज किये जाने के विरूद्ध एक अपील माननीय हाजा न्यायालय में प्रस्तुत की। उक्त अपील न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाकर समर्पितशुदा आराजी का नामांतकरण पारित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दुरभिसंधि करते हुए हस्तगत वाद प्रस्तुत कर उक्त समर्पितशुदा आराजी का नामांतकरण रोकने एवं उक्त चलायमान रास्ते को अवरूद्ध करने हेतु हस्तगत दावा प्रस्तुत कर एकतरफा स्थगन प्राप्त किया है। जो चलने योग्य नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिप्रार्थी/प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अप्रार्थी उक्त आराजी का बैचान करने पर आमादा है। इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी ने दौराने जिरह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दुरभिसंधि करते हुए हस्तगत वाद प्रस्तुत कर उक्त समर्पितशुदा आराजी का नामांतकरण रोकने एवं उक्त चलायमान रास्ते को अवरूद्ध करने हेतु हस्तगत दावा प्रस्तुत कर एकतरफा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:39 IST
Reason: SelfAttested

स्थगन प्राप्त किया है। जो चलने योग्य नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है।

5. प्रकरण में विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथमदृष्टया विवाद, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने के साथ प्रार्थी का आचरण बेदाग होना आवश्यक है। उक्त संदर्भ में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

6. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को पैतृक आराजी बताते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा किये गये कथनों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा उक्त नामांतकरण संख्या 02 को खारिज किये जाने के विरूद्ध एक अपील माननीय हाजा न्यायालय में प्रस्तुत की। उक्त अपील न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाकर समर्पितशुदा आराजी का नामांतकरण पारित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दुरभिसंधि करते हुए हस्तगत वाद प्रस्तुत कर उक्त समर्पितशुदा आराजी का नामांतकरण रोकने एवं उक्त चलायमान रास्ते को अवरूद्ध करने हेतु हस्तगत दावा प्रस्तुत कर एकतरफा स्थगन प्राप्त किया है। प्रकरण एक सहदायिकी सम्पत्ति पर सहदायक पुत्र–पुत्री के हक हिस्से निहित होने के पश्चात् हिन्दू परिवार के कर्त्ता के द्वारा सहदायिकी सम्पत्ति के अंतरण से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही एक सहदायिकी सम्पत्ति पर सहदायक पुत्र–पुत्री के हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है। जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य–सबूत लेकर ही किया जा सकता है।

7. प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूर्णनीय क्षति को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को पैतृक आराजी बताते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के गोदपिता प्रतिवादी संख्या 01 मुतनाजा आराजी को बेचान करने पर आमदा है। प्रकरण एक सहदायिकी सम्पत्ति पर सहदायक पुत्र–पुत्री के हक हिस्से निहित होने के पश्चात् हिन्दू परिवार के कर्त्ता के द्वारा सहदायिकी सम्पत्ति के अंतरण से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही एक सहदायिकी सम्पत्ति पर सहदायक पुत्र–पुत्री के हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी के अंतरण होने एवं वाद के निर्णय के पश्चात् वादी के पक्ष में प्रकरण बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:39 IST
Reason: SelfAttested

होना प्रबल सम्भावित है। साथ ही इससे वादों की बहुलता में भी वृद्धि सम्भावित है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति उत्पन्न होना प्रतीत होता है।

8. प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को पैतृक आराजी बताते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के गोदपिता प्रतिवादी संख्या 01 मुतनाजा आराजी का बेचान करने पर आमादा है। प्रकरण एक सहदायिकी सम्पत्ति पर सहदायक पुत्र–पुत्री के हक हिस्से निहित होने के पश्चात् हिन्दू परिवार के कर्त्ता के द्वारा सहदायिकी सम्पत्ति के अंतरण से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही एक सहदायिकी सम्पत्ति पर सहदायक पुत्र–पुत्री के हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी के अंतरण होने एवं वाद के निर्णय के पश्चात् वादी के पक्ष में प्रकरण बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दुरभिसंधि करते हुए हस्तगत दावा प्रस्तुत कर एकतरफा स्थगन प्राप्त किया है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 मौके पर चलायमान रास्ते का नामांतकरण पारित नहीं होने देने एवं रास्ते को अवरूद्ध करने के दुराशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के अंतरण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। साथ ही मौके पर चलायमान रास्ते एवं समर्पित आराजी के नामांतकरण के संबंध में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में अप्रार्थी को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होती है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर समर्पित रास्ते के नामांतकरण एवं मौके पर चलायमान रास्ते के अतिरिक्त मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को दौरान–ए–वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी पर दिनांक 23.08.2024 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसल वाद संख्या 2024/394 के निर्णय तक पुष्ट की जाती है। साथ ही पक्षकारान द्वारा रास्ते हेतु समर्पित आराजी खसरा संख्या 269/262

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:39 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.2023 है0 का नामांतकरण पारित करने एवं राजस्व नक्शा में तरमीम अंकित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। शेष स्थगन यथावत रखा जावे।

आज 03.07.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:39 IST
Reason: SelfAttested